छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00150

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध रणवीर सिंह सलूजा

प्रोजेक्ट– उषा प्राईड, मोवा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
12/11/18	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक स्वयं उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में ईश्वरी साहू द्वारा प्राधिकरण को पंजीकृत डाक से सूचना प्रेषित की गई, कि अनावेदक द्वारा उसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ''उषा प्राईड'' का रेरा में रजिस्ट्रेशन किये बिना, इसमें निर्मित अपार्टमेंट्स का विज्ञापन बुकिंग एवं विक्रय किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा उक्त सूचना पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को नोटिस जारी कर आहूत किया गया। अनावेदक के सूचनोपरांत अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर उसे प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। – उक्त जमानती वारंट की तामीली पश्चात् अनावेदक दिनाँक 06.09.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ। उसके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया गया कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। – प्रकरण का अवलोकन कर प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के संबंध में अवगत कराते हुए प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। – अनावेदक द्वारा दिनाँक 03.11.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु दिनाँक 31.10.2018 को प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही आवेदक द्वारा	
छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★		

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00150

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध रणवीर सिंह सलूजा

प्रोजेक्ट– उषा प्राईड, मोवा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्राधिकरण के समक्ष लिखित में भी जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु शेष दस्तावेज भी शीघ्र जमा किये जावेंगे और प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का जब तक रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं होगा, तब तक उसके द्वारा इस संबंध में कोई संव्यवहार नहीं किया जावेगा। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के आदेशानुसार प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। रजिस्ट्रार, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज व निर्धारित विलंब शुल्क जमा करते ही प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जावे। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार भेजा जावे। (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष अध्यक्ष भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★